

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 94/23

तारीख द. 8/5/23

रुद्रदत्त पुत्र भंवरलाल जाति पाण्डेय (शर्मा) उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सत्यनारायण पुत्र मुरलीधर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. पवन सिंह पुत्र होक्मीचन्द जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मदन पुत्र कल्याण जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रभुलाल पुत्र रामनिवास जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. गोपाल पुत्र रामनिवास जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 30/5/23

प्रार्थना पत्र रुद्रदत्त पुत्र भंवरलाल जाति पाण्डेय (शर्मा) निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम बिजौलियाँ कलां पटवार हल्का बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 712 पर अंकित आराजी संख्या 2158/2156 रकबा 0.4460 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कला। को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजौलियाँ कलां पटवार हल्का बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 712 पर अंकित आराजी संख्या 2158/2156 रकबा 0.4460 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 94/23

तारीख 8/5/23

प्रेषिति :-

फै - 30/5/23

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 94 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

रुद्रदत्त पुत्र भंवरलाल जाति पाण्डेय (शर्मा) उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सत्यनारायण पुत्र मुरलीधर जाति जोशी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. पवन सिंह पुत्र होक्मीचन्द जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मदन पुत्र कल्याण जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रभुलाल पुत्र रामनिवास जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. गोपाल पुत्र रामनिवास जाति धोबी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 712 पर अंकित आराजी संख्या 2158/2156 रकबा 0.4460 हैक्टियर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां